न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 540/2026

राज्य बनाम रिंकू बोयल

मु0अ0सं0– 62/2025
धारा–318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता
एवं 66डी आई0टी0एक्ट
थाना–साईबर क्राईम, देहरादून

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी– श्री पी0 पी0 त्रिपाठी
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री देवांशु वालिया

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

दिनांक– 29.05.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **रिंकू बोयल पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी– वार्ड नम्बर 8, भोडकी, नियर पुलिस चौकी, थाना गुढा गौडजी, जिला झुंझुनू, राजस्थान** की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह पहला जमानत प्रार्थनापत्र है तथा उसका ना तो कोई जमानत प्रार्थनापत्र लंबित है, ना ही निस्तारित हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम जानबूझकर केवल संदेह के आधार पर वर्तमान मामले में घसीटा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं है तथा प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कभी भी वादी से कोई सम्पर्क या संवाद नहीं किया ना ही किसी को अपने बैंक खाते में पैसे जमा करने के लिए प्रेरित किया। प्रार्थी/अभियुक्त खुद साइबर धोखाधड़ी का शिकार है और मुख्य अपराधी अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम या उनका मोबाईल नम्बर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और न ही शिकायतकर्ता द्वारा उसे प्रलोभन या धोखे की कोई भूमिका सौंपी गयी है। उक्त अपराध 7 साल तक की सजा से दण्डनीय है, लेकिन पुलिस ने धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 का नोटिस अभियुक्त को नहीं दिया। अतः प्रार्थना की गयी कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध को गंभीर प्रकृति का व अजमानतीय बताते हुए जमानत का विरोध किया गया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना गया तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

4. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को इंवेस्टमेंट के नाम पर अधिक लाभ कमाने का झांसा देकर विभिन्न बैंक खातों में पैसा जमाकर वादी के साथ एक करोड़ इक्कतीस लाख रूपये धोखाधड़ी से प्राप्त करने का अभियोग है। अभियोजन का कथानक है कि वादी द्वारा एस0बी0आई0 बैंक के खाता संख्या 44630882487 में दिनांक 18.12.2025 को मु0 2,00,000/– रूपये धोखाधड़ी से स्थानांतरित करवाये गये। अभियोजन द्वारा उक्त खाता अभियुक्त के नाम पर होने तथा अभियुक्त द्वारा उक्त धनराशि को चैक के माध्यम से आहरित किये जाने के कथन किये गये हैं।

5. हस्तगत मामले में अभियुक्त दिनांक 08.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है एवं अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गये आक्षेप 07 वर्ष से अनधिक दण्ड से दण्डनीय हैं। हस्तगत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के गुण–दोष पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने के पर्याप्त आधार विद्यमान है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **रिंकू बोयल पुत्र श्री किशोरी लाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–रू0 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो सक्षम प्रतिभू न्यायालय में निष्पादित करने पर अभियुक्त को दौराने वाद जमानत पर रिहा किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित कारागार को ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया जाये।

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
देहरादून।